न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

2.5/22 पत्रावली पेश हुई। बकुलाल उपस्थित। प्रकरण पत्रावली बारे जवाब तलबी। दि. 25.7.22 को पेश हो।

25/7/22 पत्रावली पेश हुई। नायब व नायब वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में बार-बार नायब व नायब वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद उपस्थित नहीं। दिनांक जाहिर होता है कि नायब व नायब वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं रख रहे हैं। अतः मु.नं. 132/16 T.I. बाबूलाल बनाम मूर्ति मंदिर ठाकुर जी प्रथम अपील व प्रथम निरस्ती में खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)